भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1181

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

1181. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने टेलीविज़न चैनलों, रियलिटी शो और विज्ञापनों में बच्चों की भागीदारी को विनियमित करने के लिए कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों द्वारा कोई राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या एनसीपीसीआर का राज्य आयोगों के परामर्श से बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और ऐसे कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को विनियमित करने के लिए नए दिशानिर्देश तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे दिशानिर्देश कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने वर्ष 2011 में "टीवी धारावाहिकों, रियलिटी शो और विज्ञापनों में बच्चों की भागीदारी को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश" तैयार और जारी किए थे। ये दिशानिर्देश एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर इस लिंक: https://www.ncpcr.gov.in/uploads/1684498400646767e0a92f9 **guidelines-tv-link serial.pdf** पर उपलब्ध हैं। इसके बाद, नए कानूनों/मौजूदा कानूनों में संशोधन, नीतियों, हितधारकों से प्राप्त विचारों/सुझावों को शामिल करते हुए और बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए, **"मनोरंजन उद्योग में बच्चों और किशोरों की भागीदारी के लिए दिशानिर्देश"** शीर्षक से नए दिशानिर्देश तैयार किए गए और वर्ष 2023 में जारी किए गए। ये दिशानिर्देश एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर इस लिंक

पर उपलब्ध हैं: https://www.ncpcr.gov.in/uploads/16844053596465fc6f115d1guidelines-for-child-and-adolescent-participation.pdf

(ग) और (घ): एनसीपीसीआर देश में राज्य आयोगों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशालाओं से संबंधित डेटा नहीं रखता है।

(ड.) और (च): अभी तक एनसीपीसीआर द्वारा राज्य आयोगों के परामर्श से कोई नया दिशानिर्देश तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****